न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष
एम0के0सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4069/एक/2013 – विरूद्ध आदेश दिनांक 28–9–2013 – पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी बैहर जिला बालाघाट – प्रकरण क्रमांक 77 अ–6/12–13 पुनरावलोकन

1– इस्माईल खॉ बल्द हसन खॉ
2– सईदा बी पत्नि तारीफ खॉ
निवासी बार्ड नं. 8 कम्पाउन्ड टोला
बैहर जिला बालाघाट ---आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती जमीला पत्नि हसन खॉ
ग्राम कोचेवाही तहसील लॉजी
जिला बालाघाट मध्य प्रदेश -----अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री डी.के.तिवारी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री संजय जैन)

आ दे श

(आज दिनांक 14 – 10 – 2015 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बैहर जिला बालाघाट द्वारा प्रकरण क्रमांक 77 अ–6/12–13 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 28–9–2013 के विरूद्ध म.प्र. भू राज. संहिता,1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी बैहर जिला बालाघाट द्वारा प्रकरण क्रमांक 12 अ–6/12–13 में

पारित आदेश दिनांक 31.05.13 के पुनरावलोकन हेतु आवेदकगण व्दारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर प्रकरण क्रमांक 77 अ-6/12-13 पुनरावलोकन पंजीबद्ध किया गया। इसी प्रकरण में आदेश दिनांक 31.05.13 के क्रियान्वयन को रोके जाने हेतु म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 52 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिया गया। अनुवभागीय अधिकारी बैहर ने प्रकरण क्रमांक 77 अ-6/12-13 पुनरावलोकन में पारित अंतरिम आदेश दि. 19.7.2013 से प्रकरण के निराकरण तक स्थगन दिया। अनावेदक व्दारा आपत्ति करने पर अंतरिम आदेश दिनांक 28-9-2013 पारित किया गया तथा स्थगन आदेश दिनांक 19.7.2013 निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिंदुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायाय के अभिलेख के अवलोकन से विचाराधीन निगरानी में देखना है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी बेहर ने प्रकरण क्रमांक 77 अ-6/12-13 पुनरावलोकन में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.7.2013 से प्रकरण के निराकरण तक स्थगन देने में एंव अंतरिम आदेश दिनांक 28-9-2013 से स्थगन आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि की है ? अनुविभागीय अधिकारी बैहर ने अंतरिम आदेश दिनांक 19.07.2013 पारित करके प्रकरण क्रमांक 12 अ-6/12-13 में पारित आदेश दिनांक 31.05.13 के क्रियान्वयन को अंतरिम आदेश दि. 19.7.2013 से प्रकरण के निराकरण तक स्थगित किया है ?

मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 42 सन् 2011 व्दारा (30.12. 2011) से मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 52 में इस प्रकार सॅशोधन किया गया है :-

- **अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी आदेश का निष्पादन , एक वार में तीन मास से अधिक के लिये या अगली सुनवाई की तारीख , जो भी पूर्वतर हो, नहीं रोका जायेगा** *

जबकि अनुविभागीय अधिकारी बैहर ने प्रकरण क्रमांक 12 अ-6/12-13 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 31.05.13 के क्रियान्वयन को अंतरिम आदेश दि. 19.7.2013 से प्रकरण के निराकरण तक स्थगित किया है, जिसके कारण उक्त तथ्य के अभिज्ञान में आने पर अंतरिम आदेश दिनांक 28-9-2013 से सुधार करते हुये स्थगन निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि करना नहीं पाया गया है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। परिणामतः अनुविभागीय अधिकारी बेहर व्दारा प्रकरण क्रमांक 77 अ-6/12-13 पुनरावलोकन में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28-9-2013 स्थिर रहता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर